न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

एस.टी. नम्बर : 242/2018

सरकार बनाम संतराम आदि।

आरोप

मैं, महफूज अली, सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी आप अभियुक्त केशन, सचिन व रतई पर निम्नवत अपराध के लिए आरोप लगाता हूॅ :–

1, यह कि दिनांक 30.08.2018 को किसी समय स्थान वहद ग्राम बिबिनियापुर मजरा मोहब्बतपुर पइंसा अन्तर्गत थाना मोहब्बतपुर पइंसा जनपद कौशाम्बी में आप लोगो ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में स्वेच्छया वादिनी सुमनदेवी, रामऔतार, गुडिया व राजरानी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्ड़नीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2, यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगो ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में स्वेच्छया वादिनी मुकदमा के चाचा रामऔतार को मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुॅचायी जिससे दौरान इलाज दिनांक 04.09.2018 को उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगो ने हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित करता हूॅ कि उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक : 21.08.2019

(महफूज अली),
सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया एवं विचारण की मॉग की।

दिनांक : 21.08.2019

(महफूज अली),
सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।

न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

<u>एस.टी. नम्बर : 242/2018</u>

सरकार बनाम संतराम आदि।

<u>21.08.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त केशन, सचिन व रतई उपस्थित आये।

आरोप के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद के विचारण के लिए अभियुक्त केशन, सचिन व रतई पर धारा 323 सपठित 34 व 304 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप बनना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त केशन, सचिन व रतई पर धारा 323 सपठित 34 व 304 सपठित 34 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मॉग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।